

FMCD

Our Ref: FMCD/AIF/IS 10910:1984

30.07.2020

Subject: All India First Application for Polypropylene and its Copolymers for its Safe use in contact with Foodstuffs, Pharmaceuticals and Drinking Water as per IS 10910:1984

FMCD has received an application under Normal Procedure for grant of licence to use Standard Mark on Polypropylene and its Copolymers for its Safe use in contact with Foodstuffs, Pharmaceuticals and Drinking Water as per IS 10910:1984.

As per the information available at BIS website/CMMS, following points have been observed:

- iii) As on date no BIS licence exists for the product on all India basis.
- iv) Marking fee rate & STI/SIT are also not available for the product.

Therefore, the application would be considered to be All India First Application for the product.

All ROs and BOs are, therefore, requested to send any information regarding the above product by return mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be useful to process the application.

CMD/ROs/BOs are requested to inform if any licence had been granted in past and subsequently cancelled, and if so, information regarding relevant STI/SIT/Marking fee/Test Lab may kindly be provided.

LPPD is requested to inform whether the complete testing facility for the product is available with any other BIS / BIS accredited laboratory as per IS 10910:1984, along with the testing charges.

CMD/Dy. No. 809
Dated: 30/7/2020

उप महानिदेशक (प्रमाणन) सचिवालय
आने वाली डाक नं. 252. दिनांक 30.7.20

69
H.C.M.D.
31/7/20

Shanda
30/07/2020

(Shouvik Chanda)
Sc. D (FMCD)

Head (FMCD)

[Signature]
30/7/2020

DDG (MSC, FM & HM)

[Signature]
30/07

DDG (Certification)

Head (CMD II)

[Signature]
31/7/2020

Head (LPPD)

[Signature]
30/7/2020

ALL ROs/BOs

ITSD – for hosting the circular on intranet

जावक डाक/Outgoing Dak
एफएमसीडी नं.
FMCD No. 122
दिनांक/Dated. 30.7.20

हमारा संदर्भ: एफएमसीडी/एआईएफ/आई एस 10910:1984

30 जुलाई 2020

विषय: पॉलीप्रोपाइलीन और इसके कोपोलिमर खाद्य पदार्थों, फार्मास्यूटिकल्स और पीने के पानी के संपर्क में सुरक्षित उपयोग के लिए अखिल भारतीय पहला आवेदन आईएस के अनुसार 10910:1984

एफएमसीडी को स्टैंडर्ड मार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने की स्कीम के तहत पॉलीप्रोपाइलीन और इसके कॉपोलिमर आईएस के 10910:1984 अनुसार अखिल भारतीय पहला आवेदन प्राप्त हुआ है।

बीआईएस वेबसाइट / इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :

3. अभी तक इस उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
4. इस उत्पाद के लिए मार्किंग शुल्क दरे व एसआईटी उपलब्ध नहीं है।

इसलिए, इस आवेदन को उपरोक्त उत्पाद के लिए 'अखिल भारतीय पहला आवेदन माना जाएगा।

इसके अलावा, सभी आरओ और बीओ से अनुरोध किया जाता है कि यदि उपरोक्त उत्पाद के संबंध में कोई भी आवेदन उनके अंत में लंबित है या कोई ऐसी अन्य सूचना जो आवेदन को संसाधित करने के लिए उपयोगी हो सकती है, मेल द्वारा भेज सकते हैं।

सीएमडी/आरओ/बीओ को यह सूचित करने के लिए पुनः आमंत्रित किया जाता है कि क्या कोई लाइसेंस अतीत में और बाद में रद्द कर दिया गया था और यदि ऐसा है तो उसके बारे में जानकारी प्रदान करें।

एलपीपीडी को यह सूचित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि क्या आईएस 10910:1984 के अनुसार उत्पाद के लिए पूर्ण परीक्षण सुविधा किसी भी अन्य बीआईएस / बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के पास उपलब्ध है, और यदि है तो परीक्षण शुल्क के साथ सूचित करने कि कृपा करें।

शौकिक चंदा
30/07/2020
(शौकिक चंदा)

वै.डी. (एफएमसीडी)

~~प्रमुख (एफएमसीडी)~~

मिजू गुप्ता
30/7/2020

डीडीजी (एमएस, एफएम & एचएम)

डीडीजी (प्रमाणन)

प्रमुख (सीएमडी II)

प्रमुख (एलपीपीडी)

प्रमुख (सभी आरओ व बीओ)

आईटीएसडी - इंटरनेट पर परिपत्र को डालने हेतु